मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–2013

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वर्ष 2012–2013

प्रभारी मंत्री	श्री राघवजी
प्रमुख सचिव	श्री अजय नाथ
सचिव	श्री एस.एन.मिश्रा
पदेन सचिव	श्री अशोक शाह
पदेन सचिव	श्री नीरज मण्डलोई
आयुक्त, बजट व पदेन सचिव	श्री मनीष रस्तोगी
उप सचिव	श्री मिलिन्द वाईकर
उप सचिव	श्री प्रदीप उपाध्याय
उप सचिव	श्री बी.बी.भारद्वाज
उप सचिव	सुश्री सुषमा शर्मा
अवर सचिव	श्री वीरेन्द्र कुमार
अवर सचिव	श्री जितेन्द्र सिंह
अवर सचिव	श्री अजय चौबे
अवर सचिव	श्री संजय कुमार
अवर सचिव	श्री एस.एन.शुक्ला
अवर सचिव	श्रीमती श्रृंखला संगीने
अवर सचिव	श्री बी.डी.दरियानी
संचालनालय	**संचालक**
आयुक्त, संस्थागत वित्त	श्री अशोक शाह
आयुक्त, कोष एवं लेखा	श्री नीरज मण्डलोई
आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	श्री नीरज मण्डलोई
संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा	श्रीमती एस.के.बग्गा
संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	श्री मनीष रस्तोगी
निगम/कम्पनी/मण्डल	**प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
मध्यप्रदेश वित्त निगम	श्री संजय दुबे
प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	श्री के. डी. मेनन महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड	श्री अशोक शाह

अनुक्रमणिका

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
I.		**वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना**	
	1.1	विभागीय भूमिका	1
	1.2	संरचना	4
	1.3	विभागाध्यक्ष	4
	1.4	निगम / मण्डल / कम्पनी	4
2.		**संचालनालय, कोष एवं लेखा**	
	2.1	सामान्य जानकारी	5
	2.2	अधीनस्थ कार्यालय	5
	2.3	अमला	5–6
	2.4	मुख्य दायित्व	7
	2.5	उपलब्धियॉ	8
3.		**संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा**	
	3.1	सामान्य जानकारी	14
	3.2	स्वीकृत अमले की स्थिति	14–15
	3.3	संपरीक्षा शुल्क	16
	3.4	प्रशिक्षण	16
	3.5	परीक्षाऐं	16
	3.6	संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण	17
	3.7	संपरीक्षा कार्य	17
	3.8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लेखो की संपरीक्षा	18
	3.9	ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा	18
	3.10	प्रभक्षण	19
	3.11	अधिभार	19
	3.12	अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में	19–20
	3.13	विभागीय निरीक्षण के संबंध में	20
	3.14	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 का क्रियान्वयन	20
	3.15	राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना	21

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
4.		**संचालनालय, संस्थागत वित्त**	
	4.1	सामान्य जानकारी	22
	4.2	अधीनस्थ कार्यालय व अमला	23
	4.3	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई	24
	4.4	राज्य ब्रिस्क योजना	25–26
	4.5	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	26
	4.6	मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन	27
	4.7	प्रदेश में बैकिंग क्षेत्र की स्थिति	27
	4.8	जन–निजी भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन	29
	4.9	महिला नीति का क्रियान्वयन	29
5.		**संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा**	
	5.1	विभागीय संरचना	30
	5.2	स्वीकृत अमला	31
	5.3	पेंशन संचालनालय के दायित्व	32
	5.4	पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण	33–34
	5.5	पेंशन कार्य का अंकेक्षण	34
	5.6	पेंशनर कल्याण मण्डल	34
	5.7	पेंशन कल्याण कोष	34
	5.8	जिला पेंशनर फोरम	35
	5.9	नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	35–36
6.		**संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	
	6.1	संचालनालय की संरचना	37
	6.2	संचालनालय के दायित्व	37
	6.3	संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारी	37
	6.4	अमला	40
7.		**मध्यप्रदेश वित्त निगम**	
	7.1	सामान्य जानकारी	41
	7.2	मुख्य उद्देश्य	41
	7.3	उपलब्धियॉ	42
	7.4	राज्य में पूंजी विनिवेश	42–43
	7.5	सुधार के प्रयास	43–44
	7.6	निगम व्दारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम	44

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
8.		**प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड**	
	8.1	सामान्य जानकारी	45
	8.2	उद्देश्य	45
	8.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिति	45
9.		**मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड**	
	9.1	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड	46
10.		**विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय**	
	10.1	संचालनालय,कोष एवं लेखा	47
	10.2	संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा	47
	10.3	संचालनालय,संस्थागत वित्त	47
	10.4	संचालनालय,पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा	47
	10.5	संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	47
11.		**सामान्य प्रशासनिक विषय**	48
12.		**अभिनव योजना नवाचार**	
	12.1	**नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित Quasi Centralized Model को Centerlized Model में शिफ्टिंग**	49
	12.2	NSDL के साथ Interface	49
	12.3	पेंशनर डाटा बेस	49
	12.4	ई–भुगतान प्रणाली	49–50
	12.5	नवीन बजट प्रेषण प्रणाली	50
	12.6	एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली	50–51
	12.7	वित्तीय अधिकारों की नवीन पुस्तिका का प्रकाशन	51
	12.8	**New Item** में संशोधन संबंधी विषयः	51
	12.9	आयोजना मद में त्रैमासिक बजट	51
	12.10	केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली	51
13.		**विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश**	52
14.		**सारांश**	53–54

भाग एक

विभाग की संरचना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित जानकारी

अध्याय–1

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 **विभागीय भूमिका** :–मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

11 **(एक)** कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्ही भी आदेशों को (वित्त विभाग व्दारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोडकर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों व्दारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो–

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हो, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पटटा या अनुज्ञप्ति या जल, विघुत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अंतर्वलित हो, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अंतर्वलित हो,

(घ) सरकार व्दारा कोई गारंटी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर,जिस पर इस नियम के उप–नियम(एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद व्दारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो,

(तीन) कोई भी पुर्नविनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग व्दारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग व्दारा किये गये हो, अन्यथा नहीं,

(चार) उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक कि वित्त विभाग व्दारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, वित्त विभाग द्वारा अधिकथित की गई प्रकिया के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाना चाहिए,

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

26. वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन व्दारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा ओर ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा,

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिए तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा,

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्वि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा,

(चार) वह, राज्य व्दारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये हो, और वह ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा,

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिए समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है, और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं व्दारा उपयुक्त लेखे रखे जाते है।

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(सात) बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में,

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री, जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगी,

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिए, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इंकार करेगा,

(घ) वह, विधान मण्डल व्दारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य की संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष यथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्याप्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए या आगे व्यय नहीं करने के लिए अपेक्षा करेगा,

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा,

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा,

उक्त कार्यो के अतिरिक्त वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार है :–

1. राज्य की संचित निधि
2. राज्य की आकस्मिकता निधि
3. राज्य का लोक लेखा
4. राज्य का लोक ऋण
5. वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप तथा विषयवस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय
6. विनियोग बिल
7. पुनर्विनियोग
8. अकाल सहायता निधि
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन,उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण
10. अर्थोपाय व्यवस्था
11. संसाधन
12. वित्तीय संसाधन बढाने संबंधी सामान्य नीति
13. वित्त आयोग
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन
15. विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्‌भूत होने वाले विषय
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का, विदेशीय विनियम
17. महाजनी (बैंकिग) और महाजनी (बैंकिग) समवाय
18. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
19. संघ निवृत्ति वेतन
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान
22. अनुकम्पा निधि
23. अल्प बचत योजना
24. कोषागार
25. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण
26. वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियामक सहायक नियम
28. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम
29. भविष्य निधि नियम
30. वाहन, गृह निर्माण और अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम
31. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले
32. अन्तर्राष्ट्रीय तौर से साहयियित परियोजनाओं का परिवीक्षण
33. संस्थागत वित्त

33–क अधोसंरचना में जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership)

33–ख बीमा

1.2 **संरचनाः**–बजट कार्य के लिए विभाग में नौ बजट शाखाएं (डेब्ट मैंनेजमेंट सेल सहित) है। इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। डेब्ट मैनेजमेंट सेल में शासन के ऋणों का संधारण किया जाता है। आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई व्दारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है।

1.3 विभागाध्यक्ष :–

विभाग के अंतर्गत निम्न विभागाध्यक्ष कार्यरत है :–

1. संचालनालय, कोष एवं लेखा
2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

1.4 **निगम/मण्डल/कम्पनीः**– विभाग के अंतर्गत निम्न निगम/कम्पनी/बोर्ड कार्यरत है :–

1. मध्यप्रदेश वित्त निगम,
2. प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड,
3. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड

अध्याय 2
संचालनालय, कोष एवं लेखा

2.1 सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, म0प्र0 की स्थापना 2 अप्रैल 1964 को हुई थी। आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय कोष एवं लेखा के विभागाध्यक्ष हैं। संचालनालय की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा का प्रबंधन आदि शामिल है। वर्ष 1986 से पृथक विभागाध्यक्ष के रूप में संचालनालय पेंशन की स्थापना हुई है, जिससे पेंशन कार्य का पर्यवेक्षण इस संचालनालय से पृथक हो गया है।

2.2 अधीनस्थ कार्यालय

राज्य पुनर्गठन के पश्चात संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय 07, लेखा प्रशिक्षण शालायें 07, कोषालय 55 तथा 157 उप कोषालय हैं।

2.3 अमला

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन तालिका 2.1 में दर्शाये गये पद स्वीकृत है :–

तालिका 2.1

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुये पद
1	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य (37400–67000 +ग्रेड पे 10,000)	01	01
2	अपर संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा	01	01
3	संयुक्त संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा (15600–39100 +ग्रेड पे 7600)	11	09
4	उप संचालक/वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	म0प्र0 वित्त सेवा	28	05
5	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/अतिरिक्त कोषालय अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला (15600–39100 +ग्रेड पे 5400)	म0प्र0 वित्त सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण पर	97	95 36

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुये पद
6	तथ्यांक प्रशासक	द्वितीय श्रेणी तकनीकी	09	03
7	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	57	37
8	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, संचालनालय,कोष एवं लेखा	तृतीय श्रेणी, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	18	17
9	सहायक कोषालय अधिकारी	तृतीय श्रेणी, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	122	110
10	उप कोषालय अधिकारी	तृतीय श्रेणी, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	96	61
11	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	60	60
12	शीघ्र लेखक ग्रेड–1	द्वितीय श्रेणी	01	01
13	शीघ्र लेखक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	02	02
14	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	10	05
15	व्याख्याता (लेखा प्रशिक्षण शाला)	तृतीय श्रेणी, मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	07	07
16	लेखा सहायक	तृतीय श्रेणी (सहा0ग्रेड–1)	176	151
17	उच्च श्रेणी लिपिक	तृतीय श्रेणी (सहा0ग्रेड–2)	638	465
18	कोष लेखा लिपिक	तृतीय श्रेणी (सहा0ग्रेड–3)	764	479
19	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	04	–
20	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	12	10
21	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	46	45
22	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	408	338
23	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	08	08
24	जमादार	चतुर्थ श्रेणी	01	01
25	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	01	01

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश वित्त सेवा तथा मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के संवर्गो का पुनरीक्षण किया जाकर क्रमशः 690 तथा 1087 पद स्वीकृत किये गये है।

2.4 मुख्य दायित्व

(i) **कोष प्रचलन :–** राज्य के 55 जिला कोषालय तथा 157 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा म0प्र0 कोष संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(ii) **कोष निरीक्षण :–** प्रदेश के सभी कोषालयों तथा उप कोषालयों का म0प्र0 कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(iii) **वेतन निर्धारणः–** राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच का दायित्व संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षण :–** प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण महालेखाकार म0प्र0 द्वारा किया जाता है, किन्तु कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण के लिये संचालनालय कोष एवं लेखा में एक आडिट शाखा स्थापित है। भोपाल स्थित एवं भोपाल के बाहर विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण, संचालनालय द्वारा किया जाता है तथा अन्य जिला कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(v) **संवर्ग प्रबंधन :–** म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन संचालनालय द्वारा किया जाता है। सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड–1 (कोषालयीन लिपिक सेवा) की सेवायें राज्य स्तरीय सेवाये है जिसका संवर्ग प्रबंधन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(vi) **निर्माण विभाग हेतु नवीन आहरण प्रणाली :–** निर्माण विभाग को जारी किये जाने वाले साख पत्र के स्थान पर 1 अप्रैल, 2007 से नवीन आहरण प्रणाली (WDDF) प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत सभी आहरण अधिकारियों को ऑन लाइन चेक जनरेशन अपने ही कार्यालय में करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है। इसी प्रकार दिनांक 1–4–2009 से वन विभाग के लिये नवीन व्यवस्था (FDDF) प्रारंभ की गई है।

(vii) **लेखा :–** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे तैयार कर महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को प्रेषित किये जाते हैं। समय–सीमा में लेखाओं के प्रेषण का पर्यवेक्षण भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(viii) **लेखा प्रशिक्षण :–** राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए 07 लेखा प्रशिक्षण शालायें स्थापित हैं। लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा ली जाती है एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार राज्य के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(ix) **विभागीय प्रशिक्षण :–** संचालनालय कोष एवं लेखा के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रबंधन संचालनालय कोष एवं लेखा के प्रशिक्षण शाखा द्वारा किया जाता है।

2.5 उपलब्धियां :–

(i) **वेतन निर्धारण :–** दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक निराकृत वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या तालिका–2.2 में दी गई है:

तालिका 2.2

वर्ष	वेतन निर्धारण प्रकरण
2008–2009	20,513
2009–2010	1,30,426
2010–2011	1,55,110
2011–2012	69,835
2012–2013 (दिसम्बर 2012 तक)	45,796

(ii) **कोष निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण :–** गत तीन वर्षों में संचालनालय, कोष एवं लेखा अंतर्गत आने वाले कोषालयों/उप कोषालयों में किये गये कुल निरीक्षण, तथा विभिन्न विभागों के आंतरिक अंकेक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित विशेष अंकेक्षण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी है।

तालिका 2.3

वर्ष	निरीक्षण	अंकेक्षण	विशेष अंकेक्षण
2009–2010	182	43	23
2010–2011	161	91	17
2011–2012	157	62	30
2012–2013 (दिसम्बर, 2012 तक)	72	69	33

(iii) **लेखा प्रशिक्षण शाला :–**

(1) लेखा प्रशिक्षण शाला की परीक्षा वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है। आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2011–2012 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
अक्टूबर, 2011	186	68
फरवरी, 2012	190	68
जून, 2012	214	81

(2) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–1 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
जुलाई, 2012	265	55

(3) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–2 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
नवम्बर, 2012	144	परिणाम आना शेष

(4) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–1 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भरती से सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 11.10.2010 से 14.10.2010	02	02

(5) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–2 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भरती से सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 21.02.2012 से 25.02.2012	09	01
दिनांक 13.10..2012 से 14.10.2012	07	07

(6) मध्यप्रदेश वित्त सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–एक में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भरती से सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 19.02.2010 से 26.02.2010	02	02
दिनांक 14.03.2012 से 21.03.2012	35	12
दिनांक 23.07.2012 से 28.07.2012	24	14
दिनांक 19.11.2012 से 24.11.2012	11	परिणाम आना शेष

(7) मध्यप्रदेश वित्त सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–दो में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भरती से सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 30.01.2012 से 31.01.2012	01	01
दिनांक 23.07..2012 से 28.07.2012	12	12
दिनांक 19.11.2012 से 24.11.2012	15	परिणाम आना शेष

(iv) **प्रशिक्षण :–** म0प्र0 प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्ष 2012–2013 में 264 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में 01 वित्त सेवा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया IMS ट्रेनिंग प्रोग्राम पुणे में 06 तथा रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में 15 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

(v) **संवर्ग प्रबंधन :–** संचालनालय,कोष एवं लेखा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है। विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति/ क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान की कार्यवाही कर पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों को पदोन्नति एवं क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है।

(vi) **कोषालयीन लेखों का संधारण एवं प्रेषण :–** कोषालयों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची के रूप में क्रमशः माह की 13 एवं 05 तारीख को भेजे जाते हैं। प्रदेश के सभी कोषालयों द्वारा लेखे भेजे जा रहे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल, 2004 से सभी कोषालयों द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड लेखे (मय सी.डी.) महालेखाकार को भेजे जा रहे हैं।

(vii) **सूचना का अधिकार :–** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संचालनालय, कोष एवं लेखा के कार्य को जनता के प्रति जवाबदेय, उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रशासन बनाये रखने के लिये अधिनियम के प्रावधाननुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। संभाग एवं जिला स्तर के कार्यालयों में भी लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्तियां की गयी है। शिकायतों के निराकरण तथा उस पर समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधाननुसार अपीलीय अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं।

संचालनालय, कोष एवं लेखा की सूचना का अधिकार से संबंधित समस्त जानकारियां, संचालनालय की बेवसाइट–www.mptreasury.org पर उपलब्ध कराई गई हैं

(viii) **<u>महिला नीति :–</u>**

म0प्र0 की महिला नीति के बिन्दु क्रमांक 227 के अनुसार महिला नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सहायक संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा को विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(ix) **<u>एकीकृत कोषालीयन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना :–</u>**

(अ) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, कोष एवं लेखा में कम्प्यूटीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रचलित है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन में व्यापक सुधार के उद्देश्य से रूपये 28.02 करोड की लागत से एक वृहत एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी कोषालय, उप कोषालय, संयुक्त संचालक कार्यालय एवं लेखा प्रशिक्षण शालाओं को कम्प्यूटरीकृत करके व्हीसेट के माध्यम से राज्य शासन के वित्त विभाग एवं संचालनालय, कोष एवं लेखा के मुख्य सर्वर से जोड़ा गया है। 01 अप्रैल 2004 से समस्त कोषालय/उप कोषालय में कोष

लेखा से संबधित समस्त प्रक्रियाओं का संपादन नवीन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना को भारत शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10th National conference on e-governance अंतर्गत Gold Icon National award for e-governance प्रदान किया गया है। उक्त परियोजना के अंतर्गत एस.एफ.एम.एस. साफटवेयर विकसित किया गया है, जिसे दिनांक 19.11.2011 से केन्द्रीयकृत किया जाकर सी.एस.एफ.एम.एस. लागू किया गया।

उक्त परियोजना डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पर बनाई गई थी। अब डिस्ट्रीब्यूट्रेड आर्किटेक्चर के स्थान पर केन्द्रीयकृत आर्किटेक्चर संस्थापित किया गया है। सी.एस.एफ.एम. एस. लागू होने से अब 55 कोषालयों में स्थापित सर्वरों के स्थान पर केवल भोपाल में कोष एवं लेखा संचालनालय में सेन्ट्रल सर्वर पर संपूर्ण कार्य संपादित हो रहा है। केन्द्रीयकृत व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिस्टम की उपलब्धता 24x7 बनी रहे। केन्द्रीयकृत आर्किटेक्चर लागू करने से कार्य में सुलभता हुई है। केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत प्राथमिक नेटवर्क के रूप में MPSWAN का उपयोग किया गया है एवं बैक–अप के रूप में VPNoBB का उपयोग किया जा रहा है। संचालनालय स्तर पर स्थापित डेटा सेन्टर में प्रत्येक डिवाईस को हाई–एवेलेबिलिटि पर स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप अब समस्त अधीनस्थ कार्यालय सेन्ट्रल सर्वर से जुड़ गये है एवं सिस्टम अप–टाईम लगभग शत–प्रतिशत रहा है।

सी.एस.एफ.एम.एस. लागू होने से प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, सुदृढ कोषालयीन प्रणाली, सूचना प्रबंधन प्रणाली, शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस, व्यवसायिक एवं सायबर ट्रेजरी में सुचारू रूप से कार्य संपादन हो रहा है।

बजट प्रक्रिया –

वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट तथा विभागों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी बजट सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषालयों को प्रेषित किये जा रहे है जिससे बजट आबंटन की सीमा तक व्यय हो पाता है एवं प्रभावी वित्तीय नियंत्रण संभव हो सका है। वित्त विभाग द्वारा बजट में की गई कटौती तथा भुगतानों पर लगाये जाने वाले प्रतिबंध को लागू कराने की भी व्यवस्था उपलब्ध है।

सुदृढ कोषालयीन प्रणाली –

कोषालय में प्रस्तुत समस्त आहरणों का परीक्षण, लेखा संधारण,पेंशन प्राधिकारों का निर्गमन, स्टाम्प संधारण, व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण इत्यादि कार्य कोषालय में संधारित डाटाबेस से पुष्टि कर किया जा रहा है। इस परियोजना से कोषालयीन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा तत्परता सुनिश्चित की जा सकी है।

सूचना प्रबंधन प्रणाली –

राज्य के आय–व्यय की अद्यतन वर्गीकृत जानकारी www.mptreasury.org पर उपलब्ध होने से विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये जाने में सहायता मिली है।

शासकीय कर्मचारियों को डाटाबेस –

परियोजना में प्रदेश के समस्त 5.05 लाख कर्मचारियों के एम्प्लाई, पे–रिकार्ड तथा पोस्ट डाटाबेस संधारित किये गये है तथा लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालय में कम्प्यूटर से जनरेट किये जा रहे है।

सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांकों में त्रृटियों के कारण राज्य के कर्मचारियों को कठिनाई होती है। महालेखाकार के सहयोग से लगभग 65 हजार सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक्रे को ठीक कराया गया है।

परियोजना अंतर्गत विकसित की गई वेवसाईट :–

विभाग की वेवसाईट पर विभागीय संरचना वित्त एवं लेखा प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन नियम निर्देशों की जानकारी के साथ आय एवं व्यय की वर्गीकृत जानकारी, बजट आबंटन की अद्यतन स्थिति, जमा कराये गये चालानों का विवरण सूचना के अधिकार का ब्योरा इत्यादि संधारित है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के उपयोग हेतु पी.पी.ओ. की अद्यतन स्थिति, कोषालय बिल की अद्यतन स्थिति तथा राज्य के समस्त कर्मचारियेां की वेतन पर्ची भी उपलब्ध है।

साईबर ट्रेजरी :– www.mptreasury.org पर उपलब्ध साईबर ट्रेजरी से कोई भी करदाता ऑनलाईन शासकीय कर जमा कर सकता है। पूर्व में यह सुविधा वाणिज्यकर विभाग एवं परिवहन विभाग हेतु उपलब्ध थी। वर्तमान में खनिज विभाग, रजिस्टार फार्म्स एवं सोसायटी को भी इस सुविधा में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 3

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

3.1 सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थापना दिसम्बर 1955 में हुई तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा संपादित कार्य इस संचालनालय को स्थानांतरित हुए। नगरीय निकाय तथा पंचायतीराज व्यवस्था से संबंधित अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973 में म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम 1973 तथा उसके अंतर्गत म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 लागू किये गये एवं संपरीक्षा प्रणाली को वैधानिक स्तर दिया गया। इसके अंतर्गत साविधिक संपरीक्षा कार्य संपन्न किया जाता है।

इस संचालनालय द्वारा कुल 25319 स्थानीय संस्थाओं की संपरीक्षा की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में संचालनालय द्वारा दिसम्बर 2012 तक 767 स्थानीय निकायों तथा 13642 त्रिस्तरीय पंचायतराज निकायों की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई तथा 131 निकायों के लेखों की संपरीक्षा, आवासीय संपरीक्षा के माध्यम से सम्पन्न हो रही है। संपरीक्षा प्रतिवेदेनों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के साथ–साथ महत्वपूर्ण गंभीर प्रकृति की आपत्तियों की ओर राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा इन अनियमितताओं के निराकरण हेतु संचालनालय स्तर से निकाय अधिकारियों को निर्देश दिये जाने है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ.–1(सी)/1/2006/ई/चार, दिनांक 09.11.2006 से स्थानीय निकायों पर लंबित संपरीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक कुल 17394 आपत्तियों का निराकरण किया गया है ।

3.2 स्वीकृत अमले की स्थिति :–

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अतिरिक्त 01 संयुक्त संचालक कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल एवं 07 उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय (ग्वालियर, भोपाल ,इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन) में निम्नानुसार अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के स्वीकृत सम्पूर्ण अमले की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त सह संचालक	01	01	––	आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. के अतिरिक्त प्रभार में
2	संयुक्त संचालक	03	01	02	
3	उप संचालक	19	09	10	
4	सहायक संचालक	82	59	23	06 सहायक संचालक सीधी भरती के पदो के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति से
5	ज्येष्ठ संपरीक्षक / जिला अंकेक्षक	287	212	75	10 ज्येष्ठ संपरीक्षक सीधी भरती के पदो के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति से
6	सहायक संपरीक्षक उप अंकेक्षक	542	341	201	02 सहायक संपरीक्षक सीधी भरती के पदो के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति से
7	कार्यालय अधीक्षक	01	01	––	
8	मुख्य लिपिक	07	07	––	
9	शीध्रलेखक	02	02	––	01 शीघ्रलेखक प्रतिनियुक्ति से
10	रोकड़िया	01	01	––	–
11	सहायक ग्रेड–दो	36	30	06	–
12	सहायक ग्रेड–तीन	92	69	23	04 सहायक ग्रेड–3 प्रतिनियुक्ति से
13	आशुलिपिक	04	03	01	
14	गणक	01	01	––	
15	सुपरवाईजर	01	01	––	
16	दफ्तरी	01	01	––	
17	भृत्य सह फर्राश	98	84	14	08 भृत्य प्रतिनियुक्ति से
18	प्रोसेस सर्वर	04	02	02	–
19	वाहन चालक (नियमित वेतनमान)	02	02	––	
20	चौकीदार (नियमित वेतनमान)	04	–	04	
21	चौकीदार नैमेत्तिक मद (नियमित वेतनमान)	01	01	––	
22	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर)	03	02	01	
23	सहायक ग्रेड–तीन (संविदा)	100	.	100	नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
योग		1292	830	462	

3.3 संपरीक्षा शुल्क :–

संचालनालय द्वारा स्थानीय निकायों की संपरीक्षा किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से संपरीक्षा शुल्क अधिरोपित की जाती है जो राज्य शासन के राजस्व का एक अंग है। दिनांक 31.12.2012 को संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति इस प्रकार है :–

क्रमांक	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2012 को अवशेष	1,32,29,61,018.00
2	वर्ष 2012–13 की मांग	45,79,09,555.00
3	कुल मांग	1,78,08,70,573.00
4	व्सूली	14,11,95,035.00
5	अवशेष राशि दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में	1,63,96,75,538.00

3.4 प्रशिक्षण :–

संचालनालय के अधिकारियों एंव कर्मचारियों के लिए समय–समय पर म0प्र0 आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल मे विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों पर 05 प्रशिक्षण कराये गये है जिसमें विभाग के 129 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय तौर पर परामर्शदात्री समिति एवं विभागीय आयोजनों में अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर सुझाव एवं जानकारियां दी जाती रहीं हैं ।

3.5 परीक्षाऐं :–

संचालनालय द्वारा जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 तक अधीनस्थ लेखा सेवा भाग–एक व भाग–दो की परीक्षायें आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार कर्मचारी सम्मिलित हुये :–

क्रमांक	परीक्षाऐं	सम्मिलित परीक्षार्थी	अन्य विवरण
1.	राजपत्रित सेवा क (परि.) अधिकारियों की परीक्षा भाग–एक	11	परीक्षा दिनांक 9.4.2012 से 12.4.2012 तक
2.	म.प्र.स्थानीय निधि संपरीक्षा, एस.ए. एस. भाग–दो	57	परीक्षा दिनांक 27.2. 2012 से 2.3.2012 तक
	योग	**68**	

3.6 संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण के संबंध में :–

संचालनालय के पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा दलों द्वारा स्थानीय निकायों का अंकेक्षण संपादित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूपित कर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है, जिनका विभिन्न स्तर से अनुमोदन कर प्रसारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त एवं प्रसारण की जानकारी निम्नानुसार है :–

पूर्व वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन	वर्ष में प्राप्त	कुल	प्रसारित प्रतिवेदन	अवशेष
1	2	3	4	5
27	625	652	618	34

3.7 संपरीक्षा कार्य :–

संचालनालय के संपरीक्षाधीन बड़ी–बड़ी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिक निगम, विश्वविद्यालयों, बृहद आय–व्यय वाली नगर पालिकायें, विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठय पुस्तक निगम एवं ''अ'' वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियां इस प्रकार कुल 131 इकाईयों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली लागू है। इस प्रणाली का पर्यवेक्षण सहायक संचालकों एवं निरीक्षण क्षेत्रीय उप संचालकों द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर गठित दल द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है । उप संचालकों द्वारा इस वर्ष में 137 निकायों का निरीक्षण किया गया। आवासीय संपरीक्षित निकायों में वर्तमान में 25 सहायक संचालक, 46 ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं 72 सहायक संपरीक्षक कार्यरत है तथा शेष अमला पश्चातवर्ती संपरीक्षा/पंचायत ऑडिट एवं कार्यालयों में पदस्थ हैं। इस पश्चातवर्ती एवं पंचायत संपरीक्षा का पर्यवेक्षण सहायक संचालकों द्वारा आवासीय संपरीक्षा के पर्यवेक्षण के साथ–साथ ही सम्पन्न किया जाता है।

उक्त वर्णित आवासीय एवं पश्चातवर्ती दोनों संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निकायों को जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न वित्तीय अनियमिततायें दृष्टिगत हुई है। इन अनियमितताओं में वर्णित राशि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	आपत्ति का प्रकार	राशि
1	प्रभक्षण	62,09,035/–
2	दोहरा भुगतान	2,72,251/–
3	अनियमित भुगतान	30,50,53,179/–
4	संदिग्ध व्यय	2,11,61,782/–
5	आर्थिक क्षति	35,67,42,459/–
6	निर्माण कार्य में अनियमितताओं के फलस्वरूप अनियमित व्यय	2,69,10,981/–
7	अपेक्षित वसूली	2,69,51,26,963/–
8	अन्य अनियमिततायें	1,20,60,03,483/–
9	अधिक भुगतान	1,48,81,829/–

पश्चातवर्ती अंकेक्षण के फलस्वरूप प्रकाश में आई कुल वसूली राशि रूपये 2,04,59,264/– एवं आवासीय संपरीक्षा के दौरान देयकों से काटी गई राशि रूपये 6,17,20,271/– है। इस प्रकार स्थानीय निकायों को कुल राशि रूपये 8,21,79,535/– की आर्थिक क्षति से बचाया गया है।

3.8 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लेखो की संपरीक्षा :–

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 508/143/2010/ई/चार, दिनांक 24.02.2010 से संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा की सेवाये, सामाजिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अनियमितता जांच आयोग को इन लेखो की संपरीक्षा के दृष्टिगत प्रदान की गयी। संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षा दलों द्वारा मा0 जांच आयोग के निर्देशो के परिपालन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लेखों की जिला/जनपद पंचायत तथा समस्त नगरीय निकायों द्वारा संधारित इस योजना से सम्बंधित लेखों की संपरीक्षा की गई है तथा वर्तमान में भी निरंतर जारी है। दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में, प्रत्येक जिलेवार संपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर कुल 105 प्रतिवेदन जांच आयोग को प्रस्तुत किये गये है।

3.9 ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा :–

म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा, स्थानीय निकायों की संपरीक्षा आवासीय संपरीक्षा के अंतर्गत संपन्न करता है। म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–1/33/2001/ई/चार, दिनांक 12.01.2007 द्वारा विभाग को अप्रैल 2008 से ग्राम पंचायतों का संपरीक्षा कार्य सौंपा गया है ।

प्रदेश में 50 जिला, 313 जनपद एवं 23012 ग्राम पंचायतें है। वर्तमान तक इनमें से जिला पंचायतों के 55 लेखा वर्ष जनपद पंचायतों के 210 लेखा वर्ष तथा ग्राम पंचायतों के 13377 लेखा वर्षो का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3.10 प्रभक्षण :–

स्थानीय निकायों की संपरीक्षा के दौरान संपरीक्षा दलों द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों के अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निकायों की संपरीक्षा संपादित की जाती है तथा अंकेक्षण दलों द्वारा निकायों की संपरीक्षा के समय प्रकाश में आये प्रभक्षणों प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

1.	दिनांक 1.1.2012 को अवशेषों प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	2644
2.	दिनांक 31.12.12 तक प्रकाश में आये प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	90
3.	कुल प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	2734
4.	कुल प्रभक्षण प्रकरणों में सम्मिलित राशि	8,54,45,568.00
5.	जमा की गई राशि	52,38,826.00
6.	अवशेष राशि (दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में)	8,02,06,742.00

3.11 <u>अधिभार :–</u>

म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम–1973 की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी आर्थिक हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी/कर्मचारी की घोर उपेक्षा एवं कदाचरण अथवा कर्त्तव्यों की उदासीनता/लापरवाही बरतने के कारण अथवा अवैधानिक व्यय के कारण हुई हो ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप अधिभार भारित किया जाकर वसूली की कार्यवाही अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया से की जाती है। अधिभार प्रकरणों की 31 दिसम्बर 2012 तक की स्थिति निम्नानुसार हैं :–

क्र0	आरोप पत्र की संख्या	सन्निहित राशि	वसूल की गई राशि	अवशेष राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**124**	**2,56,04,947/–**	**–**	**2,56,04,947/–**

3.12 <u>अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में:–</u>

स्थानीय निकायों के पालन प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निराकृत आक्षेपों की स्थिति इस प्रकार है:–

क्र	विवरण	संख्या
1	2	3
1	दिनांक 31.03.2012 को अवशेष आक्षेपों की संख्या	3,71,730
2	वर्ष 2012–2013 (31 दिसम्बर 2012 तक) में प्रकाश में आये आक्षेपों की संख्या	10,545
3	कुल आक्षेपों की संख्या	3,82,275
4	वर्ष में (31 दिसम्बर, 2012 तक) निराकृत आक्षेपों की संख्या	17,394
5	अवशेष आक्षेपों की संख्या (दिनांक 31.12.2012 तक)	3,64,881

3.13 विभागीय निरीक्षण के संबंध में :–

शासन के आदेशानुसार अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किये जाते हैं। 31 दिसम्बर 2012 तक कुल 258 निरीक्षण किये गये हैं, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :–

कमांक	अधिकारी का नाम	31 दिसम्बर 2012 तक किये गये निरीक्षण की संख्या
1	2	09
1.	संचालक	17
2.	उप संचालक	137
3.	सहायक संचालक	112
	योग	258

3.14 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयनः–

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –18 के अन्तर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों के लिये क्रमशः अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियमानुसार नियुक्त किये गये है।

संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का भली–भांति अनुसरण हेतु लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण मे सम्मिलित किया गया है।

संचालनालय में जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012 के मध्य 52 आवेदन प्राप्त हुये थे जिनमें से सभी आवेदनों का समुचित निराकरण किया गया।

3.15 राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना :–

राज्य की महिला नीति की समीक्षा हेतु उपसंचालक (मुख्यालय) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग पदों की भरती में शासन आदेशानुसार 01 महिला की नियुक्ति की गई है। संचालनालय में महिलाओं को प्रायः सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हुये पुरूषों के समान शासकीय कार्यार्थ अवसर प्रदान किये गये है ।

अध्याय 4

संचालनालय, संस्थागत वित्त

4.1 सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त का गठन नवम्बर 1977 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक कक्ष के रूप में किया गया था। दिसम्बर 1979 में संचालनालय, संस्थागत वित्त को वित्त विभाग के अधीन किया गया। मई 1980 में संचालक, संचालनालय, संस्थागत वित्त को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 द्वारा संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज को समाप्त करने के फलस्वरूप इस संचालनालय के कर्मचारियों को संचालनालय, संस्थागत वित्त के अधीन लिया गया है।

संचालनालय के मुख्य दायित्व निम्नांकित हैं :–

1. कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक विकास आदि से संबंधित शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त मामलों में विभिन्न संस्थाओं (SLBC/DLCC/BLBC/Banks/Financial Institutions/RBI/NABARD/SIDBI/NHB) के साथ समन्वय।
2. वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सम्पादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में बैंकिंग कार्यकलापों का अपेक्षित विस्तार करना।
3. अग्रणी बैंक योजना, जिला ऋण योजना, राज्य साख योजना से संबंधित कार्य, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों से जुड़े कार्य।
4. बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित कार्य तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण
5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का प्रसंस्करण।
6. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य।
7. जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य।
8. अल्प बचत संबंधी कार्य।

4.2 अधीनस्थ कार्यालय व अमला :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त तथा अधीनस्थ कार्यालय के लिये वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.19/4/2007/ई/चार, दिनांक 31.10.2009 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरण निम्न तालिका में है।

प्दनाम	स्वीकृत पद	
संचालक	01	
अपर संचालक	01	
संयुक्त संचालक	02	
सहायक संचालक	01	यह पद dying cadre का है
लेखाधिकारी	01	
लेखापाल	01	
लेखापाल–विशेष वेतन रू.250/–	01	यह पद dying cadre का है
प्रोग्रामर	01	
सहायक प्रोग्रामर	01	
कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	
वरिष्ठ जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	01	यह पद dying cadre का है
जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	16	यह पद dying cadre के है
क्षेत्रीय सहायक	31	यह पद dying cadre के है
स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	04	इनमें से 02 पद dying cadre के है
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	
सहायक ग्रेड–1	12	इनमें से 11 पद dying cadre के है
सहायक ग्रेड–2	07	इनमें से 06 पद dying cadre के है
सहायक ग्रेड–3 /टायपिस्ट	18	इनमें से 12 पद dying cadre के है
वाहन चालक	08	इनमें से 04 पद dying cadre के है तथा शेष 04 पदों में से 1 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत है
दफ्तरी/जमादार	02	इनमें से 01 पद dying cadre का है
भृत्य/फर्राश/चौकीदार/स्वीपर	27	इनमें से 18 पद dying cadre के है तथा शेष 9 पदों में से 2 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृतहै।
कुल योगः–	**141**	

4.3 बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंध इकाई

संचालनालय, संस्थागत वित्त के अधीन जून 1996 से परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय अंतर्गत विकासपरक नीतियों को मूर्त रूप देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, बाह्य (विदेशी) वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाये जाते हैं। इन नीतियों अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा विभाग, भारत सरकार एवं बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिकाधिक विदेशी सहायता का प्रवाह समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में प्रचलित बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय सावधिक समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित परियोजनाऐं:

(रूपये करोड़ में)

क्र.	परियोजना का नाम	विभाग	बाह्य वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2010-11	2011-12	2012-13 (नव.2012)
1	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – I	ऊर्जा	ए.डी.बी.	589.63	67.74	43.10	20.70
2	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – II		ए.डी.बी.	250.31	48.84	51.38	26.07
3	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – III		ए.डी.बी.	819.00	47.29	14.99	28.51
4	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – IV		ए.डी.बी.	553.13	74.69	81.31	43.68
5	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – V		ए.डी.बी.	1037.50	71.44	196.67	139.40
6	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – VI		ए.डी.बी.	388.12	-	23.25	36.28
7	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीडक पृथकीकरण)– I		ए.डी.बी.	1490.00	-	117.11	96.39
8	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीड पृथकीकरण)– II		ए.डी.बी.	1460.00	-	28.45	129.19
9	मध्यप्रदेश ट्रान्समीशन सिस्टम मोडर्नाइजेशन परियोजना		जे.आई.सी.ए.	1247.92	-	-	-
10	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण–II	लोक निर्माण	ए.डी.बी.	1640.00	372.51	66.37	Closed
11	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण–III		ए.डी.बी.	1688.00	-	247.10	268.81

क्र.	परियोजना का नाम	विभाग	बाह्य वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2010-11	2011-12	2012-13 (नव.2012)
12	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	नगरीय प्रशा. एवं विकास	ए.डी.बी.	1269..70	121.03	59.63	13.90
13	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना पूरक ऋण		ए.डी.बी.	443.75	69.62	74.84	31.47
14	म.प्र.अरबन सर्विसेस फार द पुअर प्रोग्राम		डी.एफ. आई.डी.	287.00	69.23	65.63	59.50
15	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना भाग– ॥	पंचा.एवं ग्रामीण विकास	डी.एफ. आई.डी	294.00	73.30	38.46	3.93
16	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना कार्यक्रम– ॥	ऊर्जा	डी.एफ. आई.डी.	44.00	20.00	9.45	0
17	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	स्वास्थ्य	डी.एफ. आई.डी	935.00	128.93	65.91	65.04
18	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण–।	वित्त	डी.एफ. आई.डी.	26.00	8.69	0.91	Closed
19	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण– ॥	वित्त	डी.एफ. आई.डी.	104.00			0
20	तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास	आईफाड	41.18	6.75	5.67	0
21	इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम(DPIP)॥	ग्रामीण विकास	विश्व बैंक	550.00	52.98	127.82	92.53
22	म.प्र. जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	जल संसाधन विभाग	विश्व बैंक	1899.95	277.77	171.31	138.09
23	राष्ट्रीय जल विज्ञान (Hydrology) परियोजना		विश्व बैंक	24.67	2.70	3.55	0.81
24	डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट		विश्व बैंक	314.55	-	0.49	0.29
			योग	17371.41	1513.51	1493.40	1194.59

4.4 राज्य ब्रिस्क योजना

प्रदेश में समुचित विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यापार जगत के साथ–साथ शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी संस्थागत साख उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की समयबद्ध वसूली से ही वित्त पोषण की निरन्तरता सुनिश्चित होती है। बैंक ऋण वसूली की समस्या के समाधान तथा सुगम वसूली के उद्देश्य से ''**मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987**'' में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऋण ग्रहिता द्वारा ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र पेश किये जाने पर शासन के राजस्व

विभाग के अमले के माध्यम से वसूली किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा ऋण की वसूली हेतु स्वयं के स्तर पर विशेष इकाई स्थापित करने पर भी वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों के परामर्श एवं पूर्णतः आर्थिक सहयोग से बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु ''**बैंक वसूली प्रोत्साहन (ब्रिस्क) योजना**'' 1 अप्रैल 1995 से लागू की गई है।

ब्रिस्क योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा समन्वय हेतु संचालनालय में ''राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ'' कार्यरत है, जो ''ब्रिस्क प्रबन्ध समिति'' के पर्यवेक्षण एवं देखरेख में ब्रिस्क योजना का राज्य स्तर पर समन्वय, सतत समीक्षा, निरीक्षण, राज्य ब्रिस्क पुरस्कार योजना का संचालन तथा ब्रिस्क खातों का अंकेक्षण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा योजना के संवर्धन से संबंधित अन्य प्रासंगिक कार्य करता है।

ब्रिस्क योजना अंतर्गत बैंक अतिदेय राशियों की वसूली में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। योजना के प्रथम वर्ष 1995–96 में मात्र रूपये 3.43 करोड़ राशि की वसूली शासन के राजस्व अमले के माध्यम से की गई थी। गत दो वर्ष की प्रगति निम्नानुसार है:–

(राशि करोड में)

वर्ष	अर्जित वसूली
2010–11	86.48
2011–12	80.14

4.5 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000

राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अनुशंसा पर प्रदेश के निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तथा अनिगमित निकायों व वित्तीय संस्थापनाओं (Un-incorporated Financial Bodies) की गतिविधियों पर अंकुश रखने हेतु ''मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000'' लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2003 अधिसूचित किये गये हैं। अधिनियम में निहित प्रावधान को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा समस्त ज़िला कलेक्टरों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

4.6 मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी स्थिति का विवरण देने के लिये प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 1995 में जारी किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन वर्ष 1998, 2002 एवं 2007 में हुआ है। पाचवें म.प्र. मानव विकास प्रतिवदेन हेतु "कृषि एवं आजीविका" को विषय वस्तु चुना गया है। पाचवॉ मानव विकास प्रतिवेदन हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति एवं प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में प्रचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त विषय वस्तु के क्षेत्र में विशेषज्ञा को सम्मिलित कर सलाहकार समूह का गठन किया गया है। प्रतिवेदन के अध्यायों के निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है तथा प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.7 प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एवं त्रैमासिक अन्तराल में आयोजित ''राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति'' के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण से चलाई जा रही हितार्थी मूलक एवं रोजगार संबंधी शासन प्रायोजित विकासशील योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के मध्य प्रभावी समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों के राज्य स्तरीय तथा प्रधान कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

बैंक शाखा नेटवर्क (दिनांक 30.09.2012 की स्थिति):–

बैंक	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धशहरी शाखाएं	शहरी शाखाएं	कुल
वाणिज्यिक बैंक	1126	943	1215	3284
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	762	281	84	1127
सहकारी बैंक	558	470	72	1100
निजी बैंक	7	111	168	286
कुल योग	**2453**	**1805**	**1539**	**5797**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक एवं प्रदेश की स्थितिः–

(प्रतिशत में)

विवरण	निर्धारित मानक	वर्ष 2011–12 की स्थिति (31.03.12)	दिनांक 30.09.12 की स्थिति
साख–जमा अनुपात	60.00	63	64
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40.00	60	58
कृषि अग्रिम	18.00	38	32
कमोजर वर्ग को अग्रिम	10.00	12	12

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य सूचकांकः–

(रूपये करोड़ में)

विवरण	मार्च 2009 की स्थिति	मार्च 2010 की स्थिति	मार्च 2011 की स्थिति	मार्च 2012 की स्थिति	सितम्बर 2012 की स्थिति
कुल जमा	108366	130267	152104	180871	191715
कुल अग्रिम	67975	79259	91499	113291	12231
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	51446	50866	57038	68172	71235
कृषि अग्रिम	22116	30272	27396	33795	34556
कमजोर वर्ग को अग्रिम	25204	11216	12002	13857	14164
लघु उद्योगों को अग्रिम	6659	9826	11316	13450	1133

बैकों द्वारा वार्षिक साख योजना का क्रियान्वयन

(रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2009–10			वर्ष 2010–11			वर्ष 2011–12		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	ल्क्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
कृषि क्षेत्र	12977	15508	119	21445	19702	92	25779	24493	95
फ़सल ऋण	9938	11221	113	16384	14308	87	19853	19556	99
सावधिक ऋण	3039	4287	141	5061	5394	107	5925	4936	83
लघु उद्योग क्षेत्र	2247	1854	83	2836	3054	108	3480	5023	144
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2891	2668	92	3223	2755	85	3517	3904	111

बैंकों को राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु वार्षिक साख योजनाः

संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा राज्य शासन के सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के सहयोग से राज्य–स्तर की "राज्य साख योजना" [State Credit Plan - SCP] बनाने का कार्य वर्ष 1992 से किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ में राज्य प्रायोजित ग़रीबी उन्मूलन, रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तदायी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के जिलेवार, योजनावार एवं विभागवार लक्ष्यों का समावेश होता है। वर्ष 2012–2013 हेतु राशि रूपये 2474.78 करोड़ की साख योजना बनाई गई है।

किसान क्रेडिट कार्डः

प्रदेश में वर्ष 2011–2012 (सितम्बर 2012 तक) में 4,72,192 किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

4.8 जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जन–निजी भागीदारी परियेाजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी परियोजनाओं के विकास में सहायता तथा समन्वय करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्टस् सेल गठित किया गया है । आयुक्त, संस्थागत वित्त को इस हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया गया है । जन–निजी भागादारी के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की जा रही है, जिसमें सड़क निर्माण के क्षेत्र में जन निजी भागीदारी ने अग्रणी भूमिका निभाई है । मध्यप्रदेश में जिन क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे है, उनमें सडक निर्माण, जल प्रदाय, शहरी यातायात, नगरीय विकास, पर्यटन, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सम्मिलित है । दि. 31.12.2012 तक रूपये 25,000 करोड़ लागत की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है ।

4.9 महिला नीति का क्रियान्वयन :–

महिला समुदाय को अपेक्षित बैंकिंग साख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 30 सितम्बर 2012 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा 6,29,302 महिला हितार्थियों को राशि रूपये 9428 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराये गये।

अध्याय 5

संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

5.1 विभागीय संरचना :–

मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पूर्व पेंशन प्रकरणों का निराकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात प्रशासकीय विभागों को सहायता देने एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु वर्ष 1986 में संचालनालय, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण का गठन कर विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया।

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति की तारीख को ही पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से राज्य शासन ने 1995 में पेंशन के कार्य का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया।

शासन द्वारा पेंशनरों के हित में पेंशन प्रक्रिया एवं नियमों का सरलीकरण करते हुये पेंशन/ग्रेच्युटी प्राधिकार पत्र जारी किये जाने की वर्तमान व्यवस्था संभागीय संयुक्त संचालक के स्थान पर कोषालय स्तर पर पेंशन विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप एवं परिवर्तित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित पेंशन प्रकोष्ठ के प्रभारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पदनाम परिवर्तित कर संचालक, पेंशन किया गया तथा संचालक, पेंशन को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।

म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' को पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 1–11–2010 के द्वारा संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म0प्र0 के सम्पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये जिला स्तर पर जिला पेंशन कार्यालय का गठन

किया गया है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28–12–2010 द्वारा समस्त जिलों में दिनांक 01.01.2011 से जिला पेंशन कार्यालय खोलने की अनुमति जारी की गई । इन जिलों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अब कोषालय अधिकारियों के स्थान पर जिला पेंशन कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं एवं कोषालय के स्थान पर जिला पेंशन कार्यालय द्वारा पी0पी0ओ0 / जी0पी0ओ0 / कम्युटेशन पेमेंट आर्डर जारी किये जा रहे है। जिला पेंशन कार्यालयों द्वारा माह दिसम्बर, 2012 तक कुल 27077 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

5.2 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र के अधीन स्वीकृत पद :–

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.	आयुक्त / संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	01
4.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01
5.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	04
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
7.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	02
8.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
9.	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	04
10.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	01
11.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	03
12.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	02
13.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06
14.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04
15.	सहायक ग्रेड–3 (डाटाएन्ट्री आपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	04
16.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02
17.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	01
18.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
19.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
20.	फर्राश(अंशकालीन) / स्वीपर (अंशकालीन)	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
21.	वाटर मैन	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
		योग :–	**48**

5.3 पेंशन संचालनालय के दायित्व :–

पेंशनर्स के स्वत्वों एवं उनकी सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु पेशंन संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये है :–

1– विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त कोषाधिकारियों के मध्य पेंशन संबंधी मामलों में समन्वयकारी भूमिका।

2– पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण।

3– पेंशन नियमों का सरलीकरण एवं अद्यतनीकरण।

4– पेंशन कार्य का अंकेक्षण।

5– पेंशनर कल्याण मंडल तथा पेंशनर कल्याण कोष का संचालन।

6– पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देना।

7– समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों/ समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए शासन की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य।

8– दिनांक 01.10.08 से उपरोक्त कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 का क्रियान्वयन।

9– राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन।

जिला पेंशन कार्यालयों के अधीन स्वीकृत पद :–

क्र0	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1	जिला पेंशन अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	07
2	जिला पेंशन अधिकारी (उप संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	43
3	सहायक पेंशन अधिकारी (म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा)	तृतीय श्रेणी	328
4	सहायक ग्रेड–2 (लेखा प्रशिक्षित)	तृतीय श्रेणी	50
5	सहायक ग्रेड–3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	114
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	150
		योग :–	**692**

जिला पेंशन कार्यालयों के दायित्व :–

I. जिले में आगामी दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना।

II. सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के अभिलेखों में सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख से समन्वय करना तथा यह समस्त कार्यवाही सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।

III. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व के पेंशन प्रकरणों संबंधी अभिलेख मय सेवा पुस्तिका के अपने कार्यालय में बुलाकर संधारित करना।

IV. कंडिका III के तहत प्राप्त पेंशन प्रकरणों की जांच करना, वेतन निर्धारण करना, अर्हतादायी सेवा का सत्यापन करना तथा असाधारण रूप से हुए विलम्ब के प्रकरणों में जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर निश्चित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना।

V. पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण करना एवं सेवानिवृत्ति के दिनांक को कर्मचारी को पेंशन प्राधिकार पत्र सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियों उपलब्ध कराना।

VI. सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह की अवधि एवं उसके पश्चात पेंशनर के बैंक खाते में मासिक पेंशन का निरन्तर भुगतान करना।

VII. पेंशनर की मृत्यु पर परिवार पेंशन प्राधिकृत करना एवं परिवार पेंशनर के बैंक खाते में मासिक पेंशन जमा करना।

VIII. समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पेंशन एवं मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण करना।

IX. समय–समय पर पेंशन का ऑडिट कराना।

X. कंडिका III के तहत संधारित एवं पेंशन कार्यालय द्वारा समय–समय पर तत्संबंधी सृजित अभिलेखों को पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु तक अथवा परिवार पेंशन की पात्रता तिथि तक एवं उसके पश्चात तीन वर्षो तक सुरक्षित रखना।

सामान्य जानकारी

5.4– पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण :–

राज्य शासन द्वारा पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य माह नवम्बर, 2002 से कोषालय अधिकारियों को सौंपा गया है ।

(क) भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./कम्युटेशन प्राधिकार पत्र संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग द्वारा जारी किये जा रहे है तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवको के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित

कोषालय अधिकारी द्वारा ही जारी किये जा रहे थे। अब शासनादेश द्वारा समस्त पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व कोषालय अधिकारियों के स्थान पर संभागीय/जिला पेंशन अधिकारियो को सौंपा गया है।

(ख) पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् (नवम्बर 2002 से मार्च, 2012) तक कुल 1,30,620 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये।

(ग) जिला स्तर पर पेंशन कार्यालय का गठन होने के पश्चात् जिला पेंशन कार्यालय द्वारा माह दिसम्बर 2012 तक कुल 27077 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

5.5– पेंशन कार्य का अंकेक्षणः–

पेंशन कार्य के कोषालयों में विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समस्त कोषालय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे पेंशन कार्य का पेंशन संचालनालय द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है।

5.6– पेंशनर कल्याण मंडल :–

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर निराकरण करने के लिए पेंशनर कल्याण मंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पेंशनर संघों के 6 प्रतिनिधि नामांकित होते है। इसकी बैठक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार होती है। मंडल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। वर्तमान मंडल का पुर्नगठन दिनांक 25 जुलाई, 2012 को हुआ है। विगत बैठक दिनांक 17.10.2012 को आयोजित की गई।

5.7– पेंशनर कल्याण कोषः–

शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता अथवा अंधे होने जैसी दैवी विपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रूपये 10.00 लाख की राशि से पेंशनर कल्याण कोष स्थापित किया गया है। कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 3292 प्रकरणों में रूपये 59,05,593/– की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस कोष में वर्तमान में

शेष राशि रूपये 7,23,323/– है। पेंशनर कल्याण कोष से विगत पांच वर्षो में स्वीकृत वित्तीय सहायता की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

स. क.	वर्ष	बैठकों की संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2008-2009	01	100	164302
2	2009-2010	शासन आदेश से	02	117254
3	2010-2011	शासन आदेश से	02	22424
4	2011-2012	04	154	321877
	2012-2013	निरंक	निरंक	निरंक
	योगः–	**07**	**258**	**625857**

5.8– जिला पेंशनर फोरम :–

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–2/03/15 /क.क दिनांक – 23.10.2003 द्वारा जिला पेंशनर फोरम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। जिला पेंशनर फोरम का मुख्य कार्य पुराने पेंशन प्रकरणों को ज्ञात करने, सुलझाने एवं पेंशनरों की कल्याणकारी गतिविधियों में सहायता करना है।

5.9– नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना :–

- मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा एवं सिविल सेवा पदों पर दिनांक 01 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है ।
- उक्त योजना राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित पेंशन प्रणाली दिनांक 01.01.2005 के पूर्व प्रचलित थी, के दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है ।
- मध्यप्रदेश शासन के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 या उसके पश्चात हुयी हो, के सदस्यों के लिए भी उक्त परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है।

- योजना के अंतर्गत NPS Trust के साथ प्रदेश शासन का अनुबंध दिनांक 16.12. 2008 को सम्पादित किया गया है। मध्य प्रदेश NPS Trust के साथ अनुबंध करने वाला देश का प्रथम राज्य है ।
- प्रदेश शासन का अनुबंध केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी NSDL (National Securities Depository Limited) के साथ भी हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1. समस्त **55** कोषालयों का NSDL के साथ पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है।
2. **9353** आहरण संवितरण अधिकारियों का पंजीयन NSDL के साथ किया जा चुका है।
3. 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त **75075** कर्मचारियों का पंजीयन NSDL के साथ हो चुका है।
4. NSDL द्वारा निर्धारित Data Format में, CMC Ltd. द्वारा C-SFMS के अंतर्गत SLIM Module में एक सुविधा पृथक से विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत NPS अभिदाताओं के कटौत्री का विवरण पृथक से संधारित होता है, जिसे NSDL की Site पर Upload किया जाता है ।
5. योजना प्रारंभ से दिसम्बर, 2012 तक कर्मचारियों के अंशदान एवं समतुल्य शासकीय अंशदान की राशि रूपये **549.44 करोड़** को ट्रस्टी बैंक–बैंक आफ इण्डिया को हस्तांतरित किया जा चुका है। यह राशि LIC Pension Fund Limited, UTI Retirement Solution Limited एवं SBI Pension Fund Limited फंड मैंनेजरों को ट्रस्टी बैंक द्वारा हस्तांतरित की जा रही है।

अध्याय–6

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

6.1 संचालनालय की संरचना

इस संचालनालय के अधीनस्थ अन्य कोई कार्यालय नहीं है।

6.2 संचालनालय के दायित्व :-

यह संचालनालय वित्त विभाग की इकाई के रुप मे कार्य करता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले बजट एवं अन्य कार्य इस इकाई के माध्यम से संचालित किये जाते है, जैसेः-

- महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय/व्यय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनायें तैयार कर विभागों/अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- राज्य के वार्षिक व अन्य नियतकालिक बजट दस्तावेजों को तैयार करना।
- बजट नियंत्रण अधिकारियों से मुद्रा साफ्टवेयर के माध्यम से बजट आंकड़े प्राप्त कर बजट संकलन की कार्यवाही करना।
- राज्य के वित्तीय प्रबंधन हेतु उच्च अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

6.3 संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारीः-

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन वर्ष 1987 में राज्य के आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। मार्च 1989 से संचालनालय ने कार्य शुरू किया तथा तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किये गये। वर्ष 1991-92 से राज्य शासन के संपूर्ण बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जा रहा है एवं इस हेतु साफ्टवेयर में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिमार्जन किया जाकर उसे अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक बजट संबंधित समस्त आंकड़ों के कम्प्यूटर पर उपलब्ध होने से आवश्यक सूचनाएं उच्च स्तर पर तत्काल तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है।

संचालनालय द्वारा वित्त विभाग के लिये वेब साईट भी विकसित की गई है। जिसमें वित्त विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है। इस वेब साईट के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

- वित्त विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, आरगेनाईजेशन चार्ट, विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी, विभाग के अधीनस्थ कार्यरत संचालनालय/निगम/संस्थाओं की जानकारी, नियमों/अधिनियमों की जानकारी, विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों/ अधिसूचनाओं की वर्षवार जानकारी आदि।
- विधान सभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी वित्त सचिव का स्मृति पत्र, खण्ड-1, खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-5 एवं विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में बजट अनुमान की जानकारी एवं बजट संबंधी अन्य सूचनायें।
- वित्त मंत्रीजी द्वारा मुख्य बजट के लिये विधान सभा में दिया गया भाषण।
- बजट के मुख्य आकर्षण की जानकारी।
- विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमानों की जानकारी।
- बजट संबंधी शब्दावली एवं प्रयुक्त होने वाले कोड की जानकारी।
- विभिन्न मांग संख्यावार, मुख्य शीर्षवार एवं राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक लेखा संबंधित जानकारी।
- महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- वित्त विभाग की सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी।
- जेण्डर बजट की जानकारी - राज्य शासन ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं शासकीय कार्यक्रमों में संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने के लिए जेण्डर बजट तैयार किया गया है। जेण्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेण्डर बजटिंग का खण्ड तैयार (खण्ड-6) किया गया है।

- परिणामी बजट की जानकारी - राज्य शासन की विकास योजनाओं से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिणामी बजट विभागवार तैयार किया गया है। परिणामी बजट में महत्वपूर्ण आयोजना परिव्यय को सम्मिलित किया गया, जिसे वेबसाईट पर मीडिया, आर्थिक विशेषज्ञों एवं जनसामान्य को विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिये उपलब्ध कराया गया है।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों को तैयार करने तथा विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं को भी तैयार किया गया है। प्रथम छःमाही एवं द्वितीय छःमाही का समीक्षा विवरण एवं आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही विवरण तैयार कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

- सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता, राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं को सीधे उपलब्ध कराई जा रही है। लोक वित्त की यह राशि राज्य की संचित निधि में सम्मिलित न रहने से बजट प्रस्तावों में प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। बजट साहित्य के साथ उपर्युक्त जानकारी पृथक से तैयार कर खण्ड-7-राज्य शासन की संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता राशि का विवरण प्रस्तुत की गई है। इस जानकारी को विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध कराया गया हैं।

- जन-निजी भागीदारी योजना अंतर्गत राज्य के अधोसरंचना विकास में जन-निजी भागीदारी एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेश की जानकारी तैयार कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी है।

- कृषि बजट – प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लोकधन के सुनियोजित व्यय, बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा कृषि जगत से जुडे जन सामान्य को कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की जानकारी उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुये कृषि बजट तैयार कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

वेब साईट का नाम www.mp.gov.in/finance

संचालनालय द्वारा पेपरलेस बजट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, इसके अंतर्गत मुद्रा साफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसकी सहायता से विभाग के बजट प्रस्ताव कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त किये गये। इससे अन्य विभागीय कार्यालयों को बजट बनाने में सुविधा हुई एवं वित्त विभाग को प्रस्तावों के परीक्षण में काफी सुविधा हुई। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न सूचनायें तैयार की जा सकती है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराई गई सी.डी. के फार्मेट में लिये जा रहे है।

6.4 अमला

संचालनालय में संचालक बजट ही संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का कार्य देखते हैं। वर्तमान में संचालनालय स्तर पर ही कार्यालय कार्यरत है। विगत पांच वर्षों से इस संचालनालय में कोई स्वतंत्र नियुक्ति नहीं हुई है। संचालनालय के अमले की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01	-
2.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01	1
3.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01	-
4.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	द्वितीय श्रेणी	01	1
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	1
6.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	03	2
7	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	2
8.	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	01	1
9.	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	01	1
10.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	01	-
11.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	-
12.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01	1
13.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	1
14.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	04	2
15.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1
16.	भृत्य	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1

अध्याय–7

मध्यप्रदेश वित्त निगम

7.1 सामान्य जानकारी :–

भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम राज्य वित्त निगम अधिनियम,1951 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में कार्य करने हेतु वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम स्थापित किया गया। देश में लगभग सभी राज्यों में एक वित्त निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में इन समस्त वित्त निगमों का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है। निगम द्वारा व्यावसायिक/आवासीय अधोसंरचना विकास की योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हुडको से ऋण सहायता ली जा रही है।

7.2 मुख्य उद्देश्य :–

(1) मध्य प्रदेश राज्य में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) राज्य का संतुलित क्षेत्रीय विकास करने हेतु नवउद्यम परियोजनाओं (ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स) के लघु एवं मध्यम स्तर के इकाइयों को बढ़ावा देना।

(3) रोजगार के नए अवसर निर्मित करने हेतु प्रारम्भ की गई विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं,भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनाओं एवं राज्य शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना।

(4) लघु सेवा आधारित संस्थानों के पेशेवरों जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबन्धकों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स इत्यादि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वित्त, प्रबन्धन, लेखांकन, शिल्प, सार्वजनिक निर्माण इत्यादि की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(5) लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों जैसे ऑटो कम्पोनेन्ट, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात एवं इस्पात उद्योग, सूचना एवं प्रसारण उद्योग व उर्वरक इत्यादि सहायक उद्योगों (एन्सीलरी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(6) ऋण प्रवाह को पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रसारित करने हेतु व्यावसायिक विकास केन्द्र खोलना।

(7) ऋण जोखिम के उचित प्रबन्धन के लिए यथासंभव छोटे–छोटे ऋण पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना जिससे छोटे ऋणग्रहिताओं और छोटे ऋणों में वृद्धि हो सके तथा राज्य का चहुँमुखी विकास हो सके।

7.3 उपलब्धियॉ :–

निगम द्वारा राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे कि:–

(1) राज्य में गत 5 वित्तीय वर्षों में 1230 इकाइयों को रूपये 1132..41 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक 182 इकाइयों को रूपये 241.85 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है।

निगम द्वारा स्वीकृत तथा वितरित ऋण का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि	वितरित ऋण राशि	वसूली
2007–08	168.45	97.27	122.83
2008–09	230.85	161.68	128.14
2009–10	226.73	135.41	143.10
2010–11	246.35	151.25	147.06
2011–12	260.03	163.03	181.15
2012–13 (31.12.2012 तक)	241.85	124.92	131.82

(2) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना हेतु वर्ष 2011–12 में रूपये 121.99 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये, जो कुल स्वीकृति का 47 प्रतिशत है।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त वित्त के फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर निर्मित किये गये।

7.4 राज्य में पूंजी विनिवेशः

मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 163.03 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण का वितरण नई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य सेवाक्षेत्र की इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु किया गया।

(1) निगम द्वारा गत 5 वर्षों में ऋण स्वीकृति एवं वसूली में सतत् वृद्धि की गई।

(2) निगम अपनी समस्त देनदारियों का भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है।

(3) राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगम को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम की आर्थिक पुनर्संरचना हेतु मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश वित निगम के साथ मार्च, 2004 में त्रिपक्षीय करारनामा किया गया था। निगम द्वारा उक्त करारनामे में उल्लेखित कार्ययोजना का संतोषजनक अनुकरण करने के कारण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु नए करारनामा हेतु सहमति दी गई एवं नया करारनामा भी मार्च, 2009 में निष्पादित किया जा चुका है।

(5) प्रदेश में औद्योगीकरण की सम्भावना और रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा जारी ऋण योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन योजनाओं द्वारा नये उद्योगों के अतिरिक्त सेवा एवं व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।

7.5 सुधार के प्रयासः–

निगम के खर्चों पर नियंत्रण के लिए सुदृढ़ बजट समर्थन प्रणाली जारी रखी गई और इसके फलस्वरूप ब्याज एवं वित्तीय खर्चे में तथा सेवावर्गीय खर्चों में नियंत्रण किया जा सका है। निगम द्वारा पूंजी के वैकल्पिक स्त्रोतों के लिए विगत 3 वर्षों में नॉन एसएलआर बॉण्ड्स निर्गम के माध्यम से रूपये 100.00 करोड़ अर्जित किये। रेटिंग संस्था CARE Ltd. द्वारा इन बॉण्ड निर्गमों को BBB "+" की रेटिंग प्रदान की गई। निगम में पिछले 5 वर्षों में 34 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं इस दौरान कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। निगम ने परिचालन व्यय में कमी लाने के लिए अभी तक कुल 39 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की एवं वर्तमान में भी यह योजना लागू है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 तक निगम के लेखा, नगद लेखा पद्धति पर आधारित थे, परन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सलाह अनुसार लेखा प्रणाली को नकद लेखा पद्धति से मर्केन्टाइल लेखा पद्धति में परिवर्तन किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2007–08 से लेखा मर्केन्टाइल पद्धति पर तैयार किए जाना जारी है।

निगम ने वर्ष 2011–12 में शुद्ध लाभ रूपये 400.82 लाख अर्जित किया है।

7.6 निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदमः–

प्रदेश में निगम के 8 व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकार विकेन्द्रीकरण सहित कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रदेश के दूरस्थ अंचलों जैसे सिंगरौली, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, बैतूल इत्यादि में स्थित है। इन व्यवसाय विकास केन्द्रों का निगम के व्यवसाय में इस वर्ष भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2011–12 में कुल स्वीकृत 210 ऋण प्रकरणों में 68 ऋण प्रकरण व्यवसाय विकास केन्द्रों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जो कुल प्रकरणों का लगभग 32 प्रतिशत है। निगम द्वारा स्वीकृति, वितरण एवं विधिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों की सुविधा हेतु निगम की समस्त योजनाओं की जानकारी, आवेदन–पत्र, ब्याज की दर एवं प्रक्रियाओं की जानकारी वेबसाईट (www.mpfc.org) पर उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय–8

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

8.1 सामान्य जानकारी :–

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी की स्थापना सन 1926 में की गई थी। ग्वालियर राज्य एंव अन्य निकायों के पास उपलब्ध धन का विनियोग मुम्बई मे सर शापुरजी ब्रोचा एवं उनकी मत्यु के पश्चात श्री एफ.ई.दिनशा द्वारा किया गया। यह निगम कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

8.2 उददेश्य :–

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय अंशो, ऋणपत्रों में वेष्ठित विनियोगों का क्रय विक्रय एंव उन पर लाभांश एंव ब्याज प्राप्त करना एंव सम्पत्तियों का प्रबंध करना है।

8.3 कम्पनी की वित्तीय स्थिति :–

कम्पनी की वित्तीय स्थिति तालिका 8.1 में दर्शायी गयी है। कम्पनी ने सन 2012–2013 में रूपये 57.00 करोड़ के लाभ का लक्ष्य रखा है :–

तालिका 8.1

(राशि लाखों में)

विवरण	2010–11	2011–2012	2012–2013
अंश पूंजी	49.66	49.66	49.66
संचित लाभ	2800.00	3018.00	3500.00
आय	760.00	881.00	6030.00
व्यय	210.00	449.00	330.00
लाभ हानि	550.00	433.00	5700.00
लाभांश	275%	275%	275%

अध्याय–9

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

9.1. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के उददे्श्य से ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम 2000'' के अधीन ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड'' गठित किया गया है । इस बोर्ड के द्वारा राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है । भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फंड़िग योजना अन्तर्गत राज्य शासन के अंशदान के रूप में दिये जाने वाले अनुदान का निर्गमन भी इस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर 2012 तक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को वाईबिलिटी गैप फंड़िग के रूप में रूपये 6.89 करोड़ का अनुदान बोर्ड के माध्यम से निर्गमित किया गया है ।

अध्याय–10

विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

10.1 संचालनालय, कोष एवं लेखा :–

वर्ष 2012–2013 में रूपये 152.51 करोड का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक रूपये 52.67 करोड का व्यय किया जा चुका है।

10.2 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा :–

वर्ष 2012–13 में रूपये 47.68 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह नवम्बर 2012 तक रूपये 21.93 करोड का व्यय किया जा चुका है।

10.3 संचालनालय, संस्थागत वित्त :–

वर्ष 2012–2013 में संचालनालय, संस्थागत वित्त को आयोजना मद में रूपये 30.50 करोड का बजट आबंटन स्वीकृत हुआ, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2012 तक रूपये 7. 80 करोड का व्यय हुआ। आयोजनेत्तर मद में रूपये 7.57 करोड के आबंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक राशि रूपये 3.33 करोड का व्यय हुआ है।

10.4 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा :–

बर्ष 2012–2013 में रूपये 8.70 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2012 तक रूपये 2.06 करोड का व्यय किया जा चुका है।

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला पेंशन कार्यालयों का गठन किया गया है । जिला पेंशन कार्यालयों के लिये केवल आयोजनेत्तर मद में वर्ष 2012–13 में रूपये 33.62 करोड का बजट प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2012 तक रूपये 5.13 करोड का व्यय किया जा चुका है।

10.5 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली :–

वर्ष 2012-2013 में रुपये 71.88 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक रुपये 70.50 लाख का व्यय किया जा चूका है।

अध्याय–11

सामान्य प्रशासनिक विषय

वित्त विभाग व्दारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा विकास कार्यो के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार दिये गये है। शासकीय योजनाओं के पंजीयन, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। शासकीय कर्मचारियों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस तैयार किया गया है। इस वर्ष विभाग के व्दारा कर्मचारी कल्याण के अनेक कार्य किये गये है।

अध्याय–12

अभिनव योजना नवाचार

12.1 नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित Quasi Centralized Model की Centralized Model में शिफिटिंगः–

कोषालय में केन्द्रीकृत व्यवस्था (C-SFMS) लागू होने के फलस्वरुप वित्त विभाग के आदेश के अनुपालन में NPS अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित **Quasi Centralized Model को Centralized Model** में Shift कर दिया गया है, जिसके तहत C-SFMS अन्तर्गत Text File Creation एवं NSDL वेबसाइट पर डाटा अपलोड (लेगेसी डाटा सहित) एवं फंड स्थानान्तरण की कार्यवाही दिनांक 01–01–2012 से संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा केन्द्रीकृत व्यवस्था अनुसार संपादित की जा रहीं है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31–12–2011 से C-SFMS अन्तर्गत कोषालयों द्वारा Text File Creation एवं NSDL वेबसाइट पर डाटा अपलोड (लेगेसी डाटा सहित) की कार्यवाही बंद की जा चुकी है।

12.2 NSDL के साथ Interface :– परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान की कटौती का डाटा NSDL को हस्तांतरित करने के लिये मेसर्स CMC के सहयोग से Interface तैयार कराया गया है।

12.3 पेंशनर डाटा बेस :–एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन परियोजना अंतर्गत राज्य के सिविल पेंशन भोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किए जा रहे पेंशन भुगतान के संबंध में समस्त पेंशनरों की जानकारी कम्प्यूटर पर संबंधित कोषालयों में शत्–प्रतिशत् संधारित की जा चुकी है ।

12.4 ई–भुगतान :– वर्तमान कोषालय कम्प्यूटराईजेशन प्रणाली से ई–भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत म0प्र0 के समस्त कोषालयों से एजेन्सी बैंक द्वारा दी गई कार्पोरेट इन्टरनेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुये तत्काल राशि प्राप्तकर्त्ता के खाते में जमा हो जाती है। इस प्रणाली से मानव श्रम तथा शासकीय व्यय की कमी के साथ–साथ चेक के माध्यम से भुगतान में होने वाले विलम्ब को शून्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर 2012 में कोषालयों में प्राप्त कुल देयकों का 89 प्रतिशत तथा राशि का 90 प्रतिशत भुगतान,

ई–भुगतान के माध्यम से किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक चेरीटेबल ट्रस्ट के रूप में मान्य स्कॉच डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा दिनांक 18.09.12 को स्कॉच डिजीटल इन्क्लूजन अवार्ड समारोह नई दिल्ली में **राज्य को स्टेट ऑफ दी इयर अवार्ड** दिया गया। इसके प्रशस्ति पत्र में **ई–पेमेंट फंक्शनलिटी को पृथक से गोल्ड अवार्ड** दिया गया है।

12.5 नवीन बजट प्रेषण प्रणाली :– अभी तक बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटन के लिये संचालनालय में सी0डी0 लेकर आते थें, जिसके आधार पर बजट प्रेषण संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता था। अब बजट नियंत्रण अधिकारी अपने कार्यालय से ही अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सीधे बजट जारी कर सकते है। इस कार्य हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी को बी0एस0एन0एल0 से VPNoBB कनेक्शन लेने की आवश्यकता होती है।

12.6 एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Financial Management Information System- IFMIS) :– मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा कोषालयीन प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 01.10.2003 से एकीकृत कोषालय कम्प्यूटराईजेशन परियोजना (आई0टी0सी0पी0) लागू किया गया था। उक्त परियोजना के अनुभव तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना लागू करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। यह परियोजना प्लान, बजट, व्यय एवं लेखांकन की व्यापकता को एकीकृत कर प्रभावकारी लोक प्रबंधन लागू करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त म0प्र0 शासन, के विभिन्न कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये भी पर्याप्त समाधान इस परियोजना में रखे जायेंगे।

समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली परियोजना को मूर्तस्वरूप प्रदान करने हेतु दिनांक 07–07–2010 को चयनित System Integrator M/s TCS Ltd. के साथ करार किया गया। परियोजना के प्रमुख उददेश्य निम्नानुसार है :–

- शासकीय वित्तीय प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता।
- प्रस्तावित परियेाजना के समस्त भागीदारों के मध्य बेहतर एवं सक्रिय समन्वय।
- समेकित सूचना प्रणाली एवं डाटाबेस।
- लोक धन का सुदृढ प्रबंधन।

इस परियोजना का संचालन, संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर–संचालनालय कोष एवं लेखा, पेंशन संचालनालय, संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, संचालनालय संस्थागत वित्त, महालेखाकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम, वित्तीय संस्थाये, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, कोषालय, उप कोषालय, लेखा प्रशिक्षण शालायें, व्यापारी फर्म एवं आम नागरिक होंगें।

परियोजनांतर्गत एस.आर.एस. एवं एस.डी.डी. का अनुमोदन हो चुका है। डाटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

12.7 वित्तीय अधिकारों की नवीन पुस्तिका का प्रकाशन वर्ष–2012 में किया जाकर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण किया गया।

12.8 New Item में संशोधन संबंधी विषयः–

प्रकरण में मंत्रिपरिषद़ से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं प्राक्कलन समिति की बैठक आयोजित कराने हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय को अनुरोध किया जा रहा है।

12.9 आयोजना मद में त्रैमासिक बजटः–

मंत्रिपरिषद द्वारा त्रैमासिक बजट आवंटन (आयोजना मद) की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। यथा समय बजट जारी करते समय निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।

12.10 केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली :–

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ बजट आबंटन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में यह अधिकार प्रशासकीय विभाग को सौपे गये है। प्रशासकीय विभाग अपनी सुविधा अनुसार स्कीमवार, उद्देश्य शीर्षवार या विस्तृत शीर्षवार बजट को इस प्रणाली में शामिल कर सकते है।

अध्याय–13

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम

01. आकस्मिता निधि अधिनियम,1957
02. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम,1957
03. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन अधिनियम,2011
04. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,1973
05. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम,1974
06. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संपरीक्षा प्रक्रिया तथा नियमावली 2008
07. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागीय नियमावली 1981
08. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम,1987
09. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988
10. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम,2000
11. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003
12. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम,2000
13. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड स्कीम,2001
14. मध्यप्रदेश लॉटरी प्रतिबंध अधिनियम,1993
15. The lotteries (Regulation) Act 1998
16. The State Financial Corporation Act 1951 (केन्द्र शासन का अधिनियम)
17. Madhya Pradesh Financial Corporation Act 1951
18. Madhya Pradesh Financial Corporation Provident Fund Regulation 1965
19. Madhya Pradesh Financial Corporation (staff) Regulation 1958
20. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
21. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2009
22. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981
23. मध्यप्रदेश सरकार प्रतिभूति नियम,2009
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977
26. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
27. मध्य प्रदेश कोषालय संहिता
28. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम
29. वेतन निर्धारण नियम
30. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम
31. वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका
32. The Prize chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)
33. The Regional Rural Banks Act, 1976 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)

अध्याय–14

सारांश

14.1 वित्त विभाग व्दारा राज्य के आय–व्यय का बजट तैयार करने,वित्तीय प्रबंधन,आय के नये स्त्रोतों को तलाशने, शासकीय व्यय में बचत के उपाय करने संबंधी कार्यो के लिये विभाग में 9 बजट शाखाएं (ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ सहित) है, जिनमें विभागावार बजट का कार्य आवंटित है। कार्य के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से सचिवों को विभागवार दायित्व सौंपा गया है। नई योजनाओं के अनुमोदन तथा पुरानी योजनाओं के पुनरीक्षण कार्य के लिये तीन स्थायी वित्तीय समितियॉ गठित की गई हैं। वित्त विभाग व्दारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों से संबंधित कार्य, नियम शाखा में एवं विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के स्थापना संबंधी कार्य स्थापना शाखा में संपादित किया जाता है।

14.2 संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में स्थित है। संचालनालय की मुख्य गतिविधियॉ राजकोष प्रशासन का नियंत्रण पेंशन एवं वेतन निर्धारण,लेखा प्रशिक्षण,कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, मध्यप्रदेश वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रबंधन है। प्रदेश में 55 जिला कोषालय, 157 उपकोषालय हैं, 07 संभागीय कार्यालय एवं 07 लेखा प्रशिक्षण शालाएं कार्यरत हैं। संचालनालय व्दारा कोषालयों, उपकोषालयों एवं संभागीय संयुक्त संचालकों, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी हैं।

14.3 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। संचालनालय व्दारा स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संपादित की जाती है।

14.4 संचालनालय,संस्थागत वित्त भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड व्दारा प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य निर्वहन कर, पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है। इसके अतिरिक्त यह संचालनालय विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं एवं जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

14.5 संचालनालय, पेंशन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया जाकर पेशनर्स की समस्याओं के निराकरण, पेंशन कार्य के अंकेक्षण, पेंशन कल्याण के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। **''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा''** को पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

14.6 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है। वार्षिक बजट संबंधी अन्य आवश्यक सूचनायें भी उपलब्ध कराई जाती है। संचालनालय व्दारा वित्त विभाग की वेबसाईट भी विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विधानसभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी उपलब्ध है।

वर्ष 2012.13 के वार्षिक बजट तथा अनुपूरक अनुमानों का संकलन किया गया तथा परिवर्तित प्रारूप के अनुसार उनकी मूल प्रतियां का मुद्रण किया गया। वित्त विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु उच्च तकनीक पर आधारित तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाई गई।

14.7 विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम संचालित है। निगम का मुख्यालय इंदौर में है। निगम व्दारा प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गतिशील बनाने के उददेश्य से कार्य–मियादी ऋण प्रदान करने के साथ–साथ व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जाता है। निगम व्दारा शासन की नीति के अनुरूप अपने कार्यकलापों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन आदि पर विशेष बल दिया गया है।

14.8 विभाग के अंतर्गत दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। कम्पनी का मुख्य कार्य पूंजीनिवेश कर लाभ कमाना है। कम्पनी की सम्पत्ति महाराष्ट्र के अतिरिक्त केरल राज्य में भी है। यह कम्पनी निरंतर लाभ में चल रही है।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में

भाग–तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग–चार

अभिनव योजना नवाचार

भाग पांच

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम/विधायी आदेश

भाग–छः

विविध